

③ निर्णित
20/11/18

फर्द अहकाम

(नियम 13)

24/9/18
11/10/18
22/10/18
29/10/18
20/11/18

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. उदाराम रावताराम

हलका गौलिधा जीवराज

पुत्र श्री. कानाराम जाति कपली

निवासी- गौलिधा जीवराज

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 03 वर्ष 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
05/09/18	पटवारी हलका गौलिधा जीवराज ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2025 में मौजा गौलिधा जीवराज के खसरा नंबर 27 रकबा 2.00 बीघा किस्म भूमि 1/1/1/1 पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24/9/2018 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
24/9/18	पत्रावली भाण प्रस्तुत हुई और साक्षर उदाराम, रावताराम एवं पटवारी हलका उपस्थित। और साक्षर अतिक्रमण हेतु सक्षम यादें हैं। अतः पत्रावली भांडा दिनांक 11/10/18 को बमुकाम गौलिधा जीवराज प्रस्तुत है।	उदाराम रावताराम जिज

R.C.M.S

2018/00014

20/11/2018

निर्णित

Part 5


118 पत्रावली पैरा हुई। गौर सामल उपस्थित
जीवनी अधिकारी प्रति परीक्षा के उभरी
काउन्सल होने के कारण मुदयालय से
बाहर है। पत्रावली आईन्डर दिनांक
12/11/18 के पैरा है।

उदारा म

12-11-18 पत्रावली आण पैरा हुई। गौर सामल उपस्थित
पटवारी टक्का की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
पटवारी टक्का की रिपोर्ट का इंतजार किया
जाकर पत्रावली दिनांक 20-11-18 के पैरा है।


राववारा म

उदारा म



तहसीलदार सिणधरी

20/11/18 पत्रावली आण पैरा हुई। गौर सामल उपस्थित
पटवारी टक्का उपस्थित। गौर सामल के अतिक्रमण
दराने संबंधी पटवारी टक्का की रिपोर्ट प्राप्त हुई।
फैसला अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली
किया गया, फैसला मुदये न्यायालय के मुनाफा
गना। पत्रावली फैसला सुमाट होकर नंबर
से का होकर दखिल दफतर है।

उदारा म


तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2016-17 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के
पृष्ठ सं. 2 पर क्र.सं. 9 पर नुमाना/फसल
निलामी राशि रु. 150/- को मांग दर्ज की गई।


17.12.18
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी